न्यायालयः—उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,रायपुर (पाली)

पीठासीन अधिकारी :—श्री सुरेश कुमार आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :— 76/2022

प्रकरण दर्ज तिथि 21.07.2022

जीसीएमएस नम्बर :— 2022/174

वादीगण :—

1. लीलादेवी पत्नी रतनलाल,
2. विनोदकुमार पुत्र रतनलाल,
3. संजयकुमार पुत्र रतनलाल,
4. ज्योतिकुमारी उर्फ संध्या पुत्री रतनलाल, पत्नी सुरजमल,
5. चंचलदेवी पुत्री रतनलाल, पत्नी देवेन्द्रकुमार,

जातियान— सरगरा, निवासीगण— नानणा, तहसील— रायपुर,

बनाम

प्रतिवादीगण :—

1. रामा पुत्र बींजाजी, जाति— सरगरा, निवासी— नानणा, तहसील— रायपुर, जिला— पाली (राजस्थान)
2. तहसीलदार साहब, तहसील कार्यालय— रायपुर, जिला— पाली

दावा बाबत् घोषणा वादपत्र अन्तर्गत धारा 88,188 एवं 136

उपस्थित 1 श्री जसवंत सिंह सांखला अधिवक्ता वादीगण

2 श्री मनीष साहू अधिवक्ता प्रतिवादी उपस्थित

निर्णय **दिनांकः** 19.12.2022

वादीगण की ओर से वकील श्री जसवंत सिंह सांखला द्वारा दावा बाबत् घोषणा वादपत्र धारा 88,188 राज. काश्त. अधि. एवं 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत विरूद्ध प्रतिवादीगण न्यायालय में पेश किया गया है। वाद पत्र का संक्षिप्त विवरण यह है कि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 एक की संयुक्त कृषि भूमि ग्राम नाहरपुरा, पटवार हल्का गिरी, तहसील— रायपुर, जिला— पाली में खसरा नम्बर 527 व 527/1 कुल खसरा 02 कुल रकबा 11 बीघा 03 बिस्वा किस्म बारानी दोयम आई हुई है। उक्त कृषि भूमि पर वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 एक संयुक्त रूप से काश्त करते आ रहे है। वादीगण के पिता रमनलाल पुत्र रामलालजी का देहान्त हो चुका है, वादीगण अपने पिता के स्थान पर विरासत नामान्तकरण भरवाने हेतू हल्का पटवारी से दिनांक 22.02.2022 को सम्पर्क किया, तब हल्का पटवारी ने बताया कि उनके पिता रतनलाल पुत्र रामलालजी के स्थान पर रतना पुत्र बींजा दर्ज है, इसलिये उनका नामान्तकरण नही भरा जा सकता है, उक्त भूमि की नकले दिनांक 24.02.2022 को ईमित्र से प्राप्त की, तब वादीगण को उक्त गलती के बारे में पूर्ण रूप से जानकारी हुई कि वादीगण के पिता रतनलाल के पिता का नाम रामलाल है, तथा रामलाल के पिता का नाम बींजा है, वादीगण के पिता रतनलाल के पिता रामलाल के स्थान पर दादा का नाम बींजा लिख दिया गया है, ऐसी सूरत में रतनलाल के पिता का नाम खातेदारी संशोधन किया जाकर

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
रायपुर (पाली)

रतनलाल पुत्र बींजा के स्थान पर रतनलाल पुत्र रामलाल संशोधित किया जाकर दर्ज किया जाना आवश्यक है, जब दिनांक 25.04.2022 को हल्का पटवारी से सम्पर्क कर संशोधन करने का निवेदन किया, तो उन्होने कहॉ कि उक्त संशोधन न्यायालय के आदेश से सम्भव है, इसलिये सक्षम न्यायालय में वाद पेश करे, एवं आदेश लेकर आवे। इस कारण से यह वाद माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया जा रहा है। वादीगण के पिता रतनलाल के पिता का नाम होने के कारण वादीगण को घोर कठिनाईयो का सामना करना पड रहा है, सरकार के द्वारा मिलने वाली सुविधाओ से वंचित हो रहे है, एवं ऋण इत्यादि लेने में असक्षम है, यदि खातेदार रतनलाल के स्थान पर पिता का नाम बींजा के स्थान पर रामा संशोधन नही किया जाता है, तो वादीगण को अपने हक अधिकारो से वंचित होना पडेगा। एवं अपना विरासत नामान्तकरण नही भरवा सकेगा, तथा वादीगण को अपने मूलभूत अधिकारो से वंचित होना पडेगा। जिसकी क्षति पूर्ति किसी तरह सम्भव नही होगी। ऐसी सूरत में वादीगण अपने हितो व अधिकारो की सुरक्षा हेतू यह वाद बाबत घोषणा, संशोधन एवं स्थाई निषेधाज्ञा का श्रीमान के समक्ष पेश कर रहे है। उक्त संशोधन करवाये बिना प्रतिवादी संख्या 1 एक ने गलत तथ्य अंकित कर बन्टवाडा भी करवा लिया, उक्त बन्टवाडा किसी भी सक्षम अधिकारी द्वारा तसदीक नही किया गया, और ना ही बन्टवाडा की डिक्री जारी की गयी है, उक्त मूल खसरे का बन्टवाडा पटवार हल्का पटवारी ने अपने स्तर पर ही कर दिया, जिस कारण स आज दिन तक संशोधन नही हो सका, एवं वादीगण का नाम जरिये विरासत नही भरा जा सका, वादीगण बिना किसी रोक टोक के उक्त भूमि पर कब्जा काश्त करते आ रहे है, लेकिन उक्त भूमि के विकास हेतू रतनलाल के पिता का नाम बींजा गलत लिखा है, रतनलाल के पिता का वास्तविक नाम रामा है, इसलिये रतनलाल के पिता बींजा को संशोधन कर वास्तविक नाम रतनलाल पुत्र रामलाल दर्ज किया जाकर वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना आवश्यक है, यदि वादीगण को रतनलाल पुत्र बींजा के स्थान पर रतनलाल पुत्र रामा संशोधन किया जाकर खातेदार काश्तकार घोषित नही किया जाता है, तो वादीगण को असीम क्षति व भारी नुकसान होगा, जिसकी क्षति पूर्ति किसी भी सूरत में सम्भव नही होगी। वादीगण को अपने हक अधिकारो से वंचित होना पडेगा। ऐसी सूरत में वादीगण अपने हक अधिकारो की सुरक्षा हेतू यह वाद घोषणा, संशोधन एव स्थाई निषेधाज्ञा का वाद श्रीमान के समक्ष पेश कर रहे है। प्रतिवादी संख्या 2 दो राज्य सरकार के अधिकारी है, जिनके विरूद्ध वाद पेश करने से पूर्व धारा– 80 सिविल प्रक्रिया संहिता का नोटिस दिया जाना आवष्यक होता है, लेकिन वादीगण का वाद आवश्यक प्रकृति का होने के कारण बिना नोटिस दिये ही श्रीमान से अनुमति लेकर यह वाद माननीय न्यायालय में पेश किया जा रहा है। वर्णित ग्राम नाहरपुरा, पटवार हल्का गिरी, तहसील– रायपुर, जिला– पाली में खसरा नम्बर 527 व 527/1 कुल खसरा 02 कुल रकबा 11 बीघा 03 बिस्वा किस्म बारानी दोयम में वादीगण के पिता रतनलाल पुत्र बींजा के स्थान पर रतनलाल पुत्र रामा

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
रायपुर (पाली)

संशोधन किया जाकर वादीगण के नाम नामान्तकरण भरा जाकर वादीगण को उक्त खसरा नम्बर की जमीन का खातेदार काश्तकार घोषित फरमावे। डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की सादिर फरमाकर स्थाई निषेधाज्ञा जारी फरमावे कि कि वाद के पद संख्या 1 एक में वर्णित ग्राम नाहरपुरा, पटवार हल्का गिरी, तहसील– रायपुर, जिला– पाली में खसरा नम्बर 527 व 527/1 कुल खसरा 02 कुल रकबा 11 बीघा 03 बिस्वा किस्म बारानी दोयम में वादीगण के हक हिस्से में वादीगण के उपयोग उपभोग, कास्त व कास्त मुतालिक समस्त कार्य करने में किसी प्रकार की दखंलनदांजी व बाधा उत्पन्न नही करे, और ना ही वादीगण को कब्जे से बेदखल आदि करे, और ना ही प्रतिवादी संख्या 1 एक बिना बन्टवाडा करवाये जमीन का बैचान बक्शीश करे, और ना ही किसी प्रकार का निर्माण आदि करे, इसके लिये प्रतिवादीगण स्वयं व उसके परिवार के सदस्यगण नौकर चाकर हाली ऐजेन्ट इत्यादि को हमेशा के वास्ते पाबन्द फरमावे।

वादीगण का वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर जरिये सम्मन प्रतिवादीगण की तलबी की गई। प्रतिवादीगण की ओर वकील श्री मनीष साहू द्वारा वकालतनामा पेश किया जो शामिल मिसल किया गया। वादी अधिवक्ता एवं प्रतिवादीगण मय अधिवक्ता ने राजीनामा पेश किया जो बाद तस्दीक किया गया है। प्रस्तुत राजीनामा में वादीगण के पिता रतना पुत्र बींजा के स्थान पर रतनलाल पुत्र रामा वादीगण को खसरा नम्बर 527 एवं 527/1 कुल रकबा 11 बीघा 03 बिस्वा किस्म बरानी दोयम में खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं तो प्रतिवादीगण संख्या 01 को कोई आपत्ति नहीं हैं। वादीगण संख्या 01 के पति, वादीगण संख्या 02 से 05 के पिता रतनलाल पुत्र रामा का देहान्त हो चुका हैं। इसलिये वादीगण का नामान्तकरण रतनलाल पुत्र रामा के स्थान पर भरकर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं तो मुझ प्रतिवादीगण संख्या 01 को किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं हैं।

उभय पक्षीय वकुलाय से पत्रावली पर बहस सुनी गई। वादी अधिवक्ता एवं प्रतिवादी अधिवक्ता ने अपनी सहमति प्रदान की हैं। बहस के दौरान दिये गये तर्को एंव पत्रावली पर पेश दस्तावेजो का गहनता पूर्वक अवलोकन एंव मनन करने पर सरहद मौजा ग्राम नाहरपुरा, पटवार हल्का गिरी, तहसील– रायपुर, के खसरा नम्बर 527 व 527/1 कुल खसरा 02 कुल रकबा 11 बीघा 03 बिस्वा किस्म बारानी दोयम में वादीगण के पिता रतना पुत्र बींजा के स्थान पर रतनलाल पुत्र रामा नाम संशोधन किये जाने के आदेश दिया जाना न्यायोचित समझते है।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
रायपुर (पाली)

आदेश

अतः वादीगण का वाद बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण स्वीकार किया जाकर सरहद मौजा ग्राम नाहरपुरा, पटवार हल्का गिरी, तहसील– रायपुर, के खसरा नम्बर 527 व 527/1 कुल खसरा 02 कुल रकबा 11 बीघा 03 बिस्वा किस्म बारानी दोयम में वादीगण के पिता रतना पुत्र बींजा के स्थान पर रतनलाल पुत्र रामा नाम दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाकर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। वादीगण के कब्जे काश्त की भूमि में काश्त के मुतालिक अन्य कार्य में दखलअंदाजी से प्रतिवादीगण, उनके नौकर–चाकर, हाली एजेन्ट सगे संबंधी मित्र अथवा जो कोई भी हों को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से रोका जाता हैं। तदानुसार डिक्री पर्चा बनाया जाकर पालना हेतु तहसीलदार रायपुर को प्रेषित किया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो।

(सुरेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, रायपुर (पाली)

यह निर्णय आज दिनांक 19.12.2022 को सरे इजलास में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, रायपुर (पाली)

(ऑर्डर 20, रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)
(Civil Procedure Code, Appendix "d" –1)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, रायपुर
बईजलास :– श्री सुरेश कुमार आर.ए.एस.

वादीगण :–

1. लीलादेवी पत्नी रतनलाल,
2. विनोदकुमार पुत्र रतनलाल,
3. संजयकुमार पुत्र रतनलाल,
4. ज्योतिकुमारी उर्फ संध्या पुत्री रतनलाल, पत्नी सुरजमल,
5. चंचलदेवी पुत्री रतनलाल, पत्नी देवेन्द्रकुमार,

जातियान– सरगरा, निवासीगण– नानणा, तहसील– रायपुर,

बनाम

प्रतिवादीगण :–

1. रामा पुत्र बींजाजी, जाति– सरगरा, निवासी– नानणा, तहसील– रायपुर, जिला– पाली (राजस्थान)
2. तहसीलदार साहब, तहसील कार्यालय– रायपुर, जिला– पाली

दावा बाबत् घोषणा वादपत्र अन्तर्गत धारा 88,188 राज. काश्त. अधि. एवं धारा 136 भू राजस्व अधिनियम

राजस्व वाद 76/2022

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतईरूबरू हमारे व हाजरी श्री जसवंत सिंह सांखला अधिवक्ता वादीगण मिनजानिब मुदईव श्री श्री मनीष साहू प्रतिवादीगण अधिवक्ता मिनजानिब मुदायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है अतः वादीगण का वाद बहक वादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण स्वीकार किया जाकर सरहद मौजा ग्राम नाहरपुरा, पटवार हल्का गिरी, तहसील– रायपुर, के खसरा नम्बर 527 व 527/1 कुल खसरा 02 कुल रकबा 11 बीघा 03 बिस्वा किस्म बारानी दोयम में वादीगण के पिता रतना पुत्र बींजा के स्थान पर रतनलाल पुत्र रामा नाम दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाकर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। वादीगण के कब्जे काश्त की भूमि में काश्त के मुतालिक अन्य कार्य में दखलअंदाजी से प्रतिवादीगण, उनके नौकर–चाकर, हाली एजेन्ट सगे संबंधी मित्र अथवा जो कोई भी हों को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से रोका जाता हैं।

नीज.....................×................मुबलिक...............×..............बाबत्............×.............

खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर ....×................फीस सदी सालाना आज तारीख वसूल याबी तक ....×..........................को अदा करे।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 19.12.2022 को जारी किया गया।

(सुरेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, रायपुर (पाली)

मुद्दई		रूपया	पै.	मुद्दयलह		रूपया	पै.
स्टाम्प अर्जीनामा	–	05	00	स्टाम्प वकालतनामा	–	02	00
स्टाम्प वकालतनामा	–	02	00	स्टाम्प हाजरी	–	00	00
स्टाम्प वजह सबूत	–	00	00	मेहनताना वकील पर	–		
मेहनताना वकील	–			खर्चा गवाहान	–		
खर्चा गवाहान	–			फीस कमिश्नर	–		
फीस कमिश्नर	–			बाबत इजराय हुक्मनामा	–		
बाबत इजराय हुक्मनामा	–			मुतफरिक	–		
मुतफरिक	–	00	00	मीजान		02	00
मीजान		07	00			04	00

नोट :– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिक्री के जरिए दिलाया गया हो नही दर्ज किया जावें।